न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—459 / 2021
हसपुरा थाना कांड संख्या :—84 / 2021

26.08.2022 आवेदक जेष्ठपाल की ओर से दिनांक—22.07.2022 को दाखिल जमानत आवेदन को संचालित किया गया । आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से दाखिल पूर्वभाषी जमानत आवेदन संख्या—901 / 2021 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है । आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल कि0मि0नं0—58823 / 21 को वापस ले लिया गया है । आवेदक के द्वारा उक्त वाद में जप्त वाहन का फाईन जमा कर दिया गया है । आवेदक को उक्त वाद में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।वद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध बालू चोरी करने के आरोप में धारा 379 एवं 411 / 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर का स्वामी के द्वारा हरजाना की राशि जमा कर दी गई है, जिससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक—1308 / ख0 दिनांक—05.08.2022 से समर्पित किया गया है, जिसमें दर्शित है कि मो0—15,215 / —रूपया जमा की गई है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक विचारण का सामना करेगा ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक को मो0—25000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

प्र0 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।

26.08.2022 आवेदक ट्रैक्टर निवंधन संख्या—BR56G2982 एवं टेलर निवंधन संख्या—BR56G2983 के स्वामी रंजीत कुमार के द्वारा दिनांक—08.08.2022 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर एवं टेलर का चालक का नाम, निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या से सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक—06.09.2022 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।